


362



# न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

प्र०क० ११/निगरानी/भिण्ड/भू०रा०/2018/0430

तेजसिंह पुत्र झंडासिंह राजपूत निवासी ग्राम रावत पुरा सानी तह० मिहोना जिला भिण्ड

.....आवेदक

श्री. श्री. राजेश शर्मा अतिमान  
द्वारा आज दि० 12/1/18 को  
प्रस्तुत प्रारंभिक तर्क हेतु  
दिनांक 17-1-18 नियत।

बनाम

*Joe*  
क्लर्क ऑफ कोर्ट  
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर 17-1-18

1-शान्ती देवी पत्नी जितेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम साहपुरा तह० मेहगाव जिला भिण्ड

2-गुडडी देवी पत्नी जितेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी हरजू का पुरा तह० मेहगांव जिला भिण्ड

3-मिथला देवी पत्नी जय सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम हरजू का पुरा तह० मेहगांव जिला भिण्ड

4-सत्यवती बाई पत्नी लोकेन्द्र सिंह राजपूत निवासी ग्राम किटी तह० गोहद जिला भिण्ड

.....असल/अनावेदक

5-मालती देवी पत्नी कल्याण सिंह राजपूत निवासी ग्राम किटी तह० गोहद जिला भिण्ड

6-दलवीर सिंह पुत्र झंडासिंह राजपूत निवासी ग्राम रावतपुरा सानी तह० मिहोना जिला भिण्ड

.....तरतीवी/तरतीवी

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक 06/01/2018

न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय मिहोना

जिला भिण्ड के प्र०क० 11/17-18 x अ/6 निगरानी


अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - दो/निगरानी/भिण्ड/भू.रा./2018/430

जिला - भिण्ड

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री कृष्ण शर्मा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-12-18 को कलेक्टर, जिला भिण्ड के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p>पेशी दिनांक</p> <p style="text-align: right;"> प्रशासकीय सदस्य</p>	